भारत सरकार

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2681

उत्तर देने की तारीख 17 मार्च, 2025

सोमवार, 26 फाल्गुन 1946 (शक)

पूर्वोत्तर राज्यों के विद्यार्थियों के लिए कौशल विकास कार्यक्रम

2681. श्रीमती पूनमबेन माडम:

क्या कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) यह कार्यक्रम किस प्रकार सुनिश्चित करेगा कि पूर्वोत्तर राज्यों की छात्राओं को संसाधनों, मार्गदर्शन और वित्तपोषण के अवसरों तक समान पहुंच प्राप्त हो;

(ख) इस कार्यक्रम में भाग लेने वाली महिला उद्यमियों का मार्गदर्शन करने में उद्योग जगत के नेता, सफल उद्यमी और अन्य प्रमुख हितधारक क्या भूमिका निभाएंगे; और

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं कि कार्यक्रम का संकाय विकास घटक उद्यमिता में छात्रों को मार्गदर्शन देने वाले शिक्षकों को प्रशिक्षित करने में प्रभावी हो?

उत्तर

कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री जयन्त चौधरी)

(क) से (ग) सरकार भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में महिलाओं सहित समाज के विभिन्न वर्गों के बीच कौशल और उद्यमशीलता विकास के लिए विभिन्न पहलों को लागू कर रही है। ऐसी ही एक पहल है स्वावलंबिनी महिला उद्यमशीलता कार्यक्रम, जिसे मंत्रालय ने 7 फरवरी, 2025 को पूर्वोत्तर राज्यों असम, मेघालय और मिजोरम के चयनित उच्चतर शिक्षण संस्थानों (एचईआई) में ज्ञान भागीदार के रूप में नीति आयोग के महिला उद्यमशीलता मंच के सहयोग से छात्राओं के लिए शुरू किया है।

यह कार्यक्रम युवा महिलाओं को विचार से लेकर सफल उद्यम निर्माण तक के संक्रमण में मदद करने के लिए एक संरचित, बहु-चरणीय प्रशिक्षण दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। इस कार्यक्रम में चयनित उच्च शिक्षा संस्थानों के संकाय सदस्यों को प्रशिक्षित करने के लिए संकाय विकास कार्यक्रम (एफडीपी) अर्थात उद्यमशीलता जागरूकता कार्यक्रम (ईएपी) के माध्यम से 1200 महिला छात्रों के बीच उद्यमशीलता जागरूकता पैदा करने के लिए परिचयात्मक कार्यक्रम, उसके बाद ईएपी प्रतिभागियों में से चयनित 600 छात्रों के लिए उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम (ईडीपी) विभिन्न घटक शामिल हैं। इसके बाद 21 सप्ताह तक मार्गदर्शन और सहायता प्रदान की जाएगी।

मंत्रालय कार्यक्रम के कार्यान्वयन, पर्यवेक्षण और अनुवीक्षण की देखरेख करेगा, जबकि नीति आयोग कार्यशालाओं का आयोजन करेगा, मार्गदर्शन सहायता प्रदान करेगा, बीज वित्त-पोषण की सुविधा प्रदान करेगा और अवार्ड-टू-रिवार्ड (एटीआर) पहल के माध्यम से सफल उद्यमियों को मान्यता देगा।

मार्गदर्शन और हैंडहोल्डिंग सहयोग के दौरान, उद्योगपतियों और सफल उद्यमी प्रतिभागियों को मार्गदर्शन और व्यावहारिक सहायता प्रदान करके मार्गदर्शन करेंगे। सफल उद्यमियों को अपने अनुभव साझा करने के लिए आमंत्रित किया जाएगा, जिसमें उन्होंने जिन चुनौतियों का सामना किया और अपने व्यवसाय को स्थापित करने के लिए जिन कार्यनीतियों का उपयोग किया, उन पर प्रकाश डाला जाएगा।

दीर्घावधि प्रभाव सुनिश्चित करने के लिए, कार्यक्रम में एक संकाय विकास कार्यक्रम (एफडीपी) भी शामिल है, जहां भाग लेने वाले उच्चतर शिक्षण संस्थानों के संकाय सदस्य पांच दिवसीय प्रशिक्षण सत्र से गुजरेंगे। यह पहल शिक्षकों को उनके संस्थानों के भीतर महत्वाकांक्षी महिला उद्यमियों को सलाह देने और मार्गदर्शन करने के लिए आवश्यक कौशल से लैस करेगी।

इसके अलावा, मंत्रालय ने अपने स्वायत्त संस्थान, अर्थात भारतीय उद्यमिता संस्थान, गुवाहाटी के माध्यम से, पूर्वोत्तर राज्यों की महिला छात्रों के बीच उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित पहल की हैं:

1. पूर्वोत्तर क्षेत्र के शैक्षणिक संस्थानों में उद्यमशीलता विकास केंद्र (ईडीसी) और इनक्यूबेशन सेंटर (आईसी) की स्थापना, विकास और प्रबंधन - इस परियोजना के तहत, आईआईई पूर्वोत्तर परिषद (एनईसी) के सहयोग से पूर्वोत्तर क्षेत्र के शैक्षणिक संस्थानों में 30 उद्यमशीलता विकास केंद्र (ईडीसी) और 04 इनक्यूबेशन सेंटर (आईसी) की स्थापना, विकास और प्रबंधन कर रहा है। कार्यक्रम में उद्यमिता जागरूकता कार्यक्रम (ईएपी), उद्यमश्जिलता विकास कार्यक्रम (ईडीपी) और

संकाय विकास कार्यक्रम (एफ़डीपी) शामिल हैं। परियोजना के तहत, 4077 उम्मीदवारों ने ईएपी में भाग लिया और ईडीपी के तहत 912 उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया गया, जिनमें से 322 महिलाएँ हैं और 632 मेंटरों को एफ़डीपी के तहत प्रशिक्षित किया गया, जिनमें से 278 महिलाएँ हैं।

2. औद्योगिक मूल्य संवर्धन हेतु कौशल सुदृढ़ीकरण (स्ट्राइव) परियोजना एमएसडीई की औद्योगिक मूल्य संवर्धन हेतु कौशल सुदृढ़ीकरण (स्ट्राइव) परियोजना के अंतर्गत, आईआईई ने उत्तर-पूर्वी राज्यों में राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थानों (एनएसटीआई) और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) में जागरूकता और संवेदनशीलता कार्यक्रम आयोजित किए। इन गतिविधियों के बाद उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम (ईडीपी) में भाग लेने के लिए भावी उद्यमियों का चयन किया गया। संस्थान ने लक्षित समूहों के लिए ईडीपी प्रशिक्षण सफलतापूर्वक आयोजित किया है और प्रशिक्षुओं को अपने उद्यम स्थापित करने में मदद करने के लिए मार्गदर्शन और सहायता प्रदान की है।

इस पहल ने तकनीकी प्रशिक्षण संस्थानों के भीतर एक उद्यमशीलता इकोसिस्टम को प्रभावी ढंग से बढ़ावा दिया, जिससे छात्रों और संकाय दोनों की क्षमता में वृद्धि हुई। आईआईई ने ईएपी में 11,000 उम्मीदवारों और ईडीपी में 8,332 उम्मीदवारों को प्रमाणित किया।

इसके अलावा, मंत्रालय पूर्वोत्तर राज्यों की महिलाओं सहित पूरे देश में समाज के सभी वर्गों के कौशल विकास के लिए विभिन्न योजनाएं लागू कर रहा है। योजनाओं का विवरण **अनुबंध-I** में दिया गया है।

इसके अतिरिक्त, शिक्षा मंत्रालय के उच्चतर शिक्षण विभाग के अंतर्गत, त्रिपुरा विश्वविद्यालय के उद्यमशीलता विकास केंद्र (ईडीसी) और इनक्यूबेशन सेंटर (आईसी) ने छात्रों के लिए उद्यमशीलता जागरूकता कार्यक्रम (ईएपी) और उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम (ईडीपी) जैसे विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए। तीन ईएपी कार्यक्रमों में से एक सभी महिला प्रतिभागियों के लिए प्रतिबद्ध था। सभी प्रतिभागियों को केंद्र में उपलब्ध संसाधनों तक समान पहुंच के साथ-साथ मार्गदर्शन के अवसर भी प्रदान किए गए। इन कार्यक्रमों के दौरान, प्रतिभागियों को उद्यमशीलता की बारीकियों पर प्रकाश डालने के लिए सरकारी और निजी दोनों संस्थानों के उद्योग विशेषज्ञों के साथ-साथ क्षेत्र के सफल उद्यमियों को आमंत्रित किया गया था। ईडीसी में 5 दिवसीय संकाय विकास कार्यक्रम (एफडीपी) आयोजित किया गया, जिसमें त्रिपुरा के कॉलेजों और उच्चतर शिक्षण संस्थानों के संकाय सदस्यों ने भाग लिया। इसके अलावा, सभी चयनित विचारों को इनक्यूबेशन चरण के दौरान उत्तर पूर्वी परिषद (एनईसी) से समान प्रारंभिक वित्तीय सहायता प्राप्त होगी।

अनुबंध-I

'पूर्वोत्तर राज्यों के विद्यार्थियों के लिए कौशल विकास कार्यक्रम' के संबंध में दिनांक 17.03.2025 को उत्तर दिए जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2681 के भाग (क) से (ग) के यततार में संदर्भित अनुबंध

पूर्वोत्तर राज्यों की महिलाओं सहित समूचे देश में समाज के सभी वर्गों के कौशल विकास के लिए एमएसडीई की विभिन्न योजनाओं का विवरण इस प्रकार है:

1. प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई): पीएमकेवीवाई के तहत देश भर के युवाओं को अल्पवधि प्रशिक्षण (एसटीटी) और पूर्व शिक्षण मान्यता (आरपीएल) के माध्यम से कौशलोन्नयन और पुनर्कौशलीकरण के माध्यम से कौशल विकास प्रशिक्षण दिया जाता है। पीएमकेवीवाई 4.0 के तहत पूर्वोत्तर राज्यों में कौशल विकास और उद्यमिता में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए विशेष पहल की गई है। दिनांक 31.12.2024 तक, पूर्वोत्तर राज्यों में कुल 8,20,039 महिलाओं को प्रशिक्षित/उन्मुख किया गया है, 6,06,274 को प्रमाणित किया गया है, 87,656 को रोजगार मिली है और 12,982 को स्व-रोजगार प्राप्त हुआ है।

पीएमकेवीवाई 4.0 के तहत अग्रणी उद्योगपति मेंटरशिप, प्रशिक्षण और रोजगार संबंधों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्षेत्र कौशल परिषद (एसएससी) उद्योग-संबंधित पाठ्यक्रम विकसित करते हैं, जबकि नैसकॉम, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (फिक्की) और माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज के साथ सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) इंटर्नशिप और उद्यमशीलता में मार्गदर्शन प्रदान करते हैं।

पीएमकेवीवाई 4.0 राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थानों (एनएसटीआई), उत्कृष्टता केंद्रों (सीओई) और प्रतिष्ठित संस्थानों के माध्यम से संकाय क्षमता-निर्माण पर भी ध्यान केंद्रित करता है। प्रशिक्षकों को रोजगार कौशल मॉड्यूल में अंतर्निहित उद्यमशीलता कौशल के अनुरूप सुनिश्चित करने के लिए प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण (टीओटी) प्रमाणन से गुजरना पड़ता है।

2. जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस) योजना भारत सरकार से 100% अनुदान के साथ पंजीकृत सोसायटियों (एनजीओ) के माध्यम से लाभार्थी के पहुँच तक अनौपचारिक तरीके से कौशल प्रशिक्षण प्रदान करती है। इस योजना का उद्देश्य कौशल विकास प्रशिक्षण के माध्यम से स्व/वैतनिक रोजगार को बढ़ावा देकर घरेलू आय में वृद्धि करना है। यह योजना गैर-साक्षर, नव-साक्षर और प्राथमिक शिक्षा प्राप्त व्यक्तियों के साथ-साथ 12वीं कक्षा तक स्कूली पढ़ाई बीच में छोड़ने वालों के लिए है, विशेष रूप से सुदूर के आदिवासी और पहाड़ी क्षेत्रों में 15-45 वर्ष की

आयु के लोगों के लिए, दिव्यांगजनों और अन्य योग्य मामलों, विशेष रूप से महिलाओं के लिए आयु में छूट के साथ। इस योजना के लिए प्राथमिकता वाले समूह महिलाएँ, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक हैं, जिसमें पूर्वोत्तर राज्यों के ग्रामीण और पहाड़ी क्षेत्रों में आदिवासी समुदायों पर विशेष जोर दिया गया है। वित्तीय-वर्ष 2018-19 से 2024-25 (फरवरी 2025 तक) के दौरान, पूर्वोत्तर राज्यों में इस योजना के तहत कुल 1,35,195 लाभार्थियों को प्रशिक्षित किया गया है, जिनमें से 99,388 महिला लाभार्थी हैं।

3. अगस्त 2016 में शुरू की गई **राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन योजना (एनएपीएस)** का उद्देश्य पूरे देश में शिक्षुता प्रशिक्षण को बढ़ावा देना है। इस योजना को वर्ष 2022-23 से एनएपीएस-2 के रूप में जारी रखने के लिए विस्तारित किया गया था और यह शिक्षुता अधिनियम, 1961 और उसके तहत नियमों के तहत नियोजित शिक्षुओं को आंशिक वृतिका सहायता प्रदान करके शिक्षुता प्रशिक्षण को बढ़ावा देती है। एनएपीएस-2 के तहत, भारत सरकार (जीओआई) द्वारा वजीफा सहायता का भुगतान प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से प्रशिक्षुओं के बैंक खाते में किया जाता है। शिक्षुता प्रशिक्षण पूर्वोत्तर राज्यों की महिलाओं सहित सभी श्रेणियों के उम्मीदवारों के लिए खुला है। वित्तीय-वर्षों 2018-19 से 2024-25 (फरवरी 2025 तक) के दौरान, पूर्वोत्तर राज्यों में इस योजना के तहत कुल 47,395 शिक्षुओं को नियुक्त किया गया है, जिनमें से 18,658 महिलाएँ हैं।

4. शिल्पकार प्रशिक्षण योजना (सीटीएस): कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) के तहत प्रशिक्षण महानिदेशालय (डीजीटी), महिलाओं सहित देश के युवाओं के लिए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) के एक नेटवर्क के माध्यम से शिल्पकार प्रशिक्षण योजना (सीटीएस) को लागू करता है।

आईटीआई में, 168 एनएसक्यूएफ़ अनुरूप ट्रेडों में शिल्पकार प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों को ट्रेडों में बुनियादी कौशल और ज्ञान प्रदान करने के लिए तैयार किया गया है ताकि प्रशिक्षु को अर्ध-कुशल श्रमिक के रूप में रोजगार के लिए तैयार किया जा सके। वर्तमान में, देश में 14,612 आईटीआई स्थापित हैं, जिनमें से 91 उत्तर-पूर्वी राज्यों में सरकारी आईटीआई हैं और 19 उत्तर-पूर्वी राज्यों में निजी आईटीआई हैं। वर्ष 2019-20 से 2023-24 तक उत्तर-पूर्वी राज्यों में सीटीएस के तहत आईटीआई में कुल 11,274 महिला प्रशिक्षुओं ने दाखिला लिया।

इसके अलावा, डीजीटी ने पूर्वोत्तर राज्यों में कौशल विकास अवसंरचना (ईएसडीआई) योजना लागू की है। इस योजना का उद्देश्य पूर्वोत्तर राज्यों में कौशल विकास के मौजूदा

अवसंरचना को बढ़ाना है। इस योजना का उद्देश्य 100% केंद्रीय वित्त-पोषण के साथ प्रत्येक आईटीआई में तीन नए ट्रेड शुरू करके 22 आईटीआई का उन्नयन करना, 90% केंद्रीय और 10% राज्य वित्त-पोषण के साथ 8 पूर्वोत्तर राज्यों में 34 नए आईटीआई की स्थापना करना और 100% केंद्रीय वित्त-पोषण के साथ नए छात्रावास, चाहरदीवारी का निर्माण करके और पुराने और अप्रचलित औजारों और उपकरणों को जोड़कर 28 आईटीआई में अवसंरचना की कमियों को दूर करना है।

*****